बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

आदेश

संoसंo–हoकo (14)योजना(पावरलूम) –03/2015

विषयः– उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–259 दिनांक–19.01.2016 द्वारा स्वीकृत 12 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल (2015–16 से 2016–17) में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत, प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर प्रति विद्युतकरघा पर होने वाला व्यय का 40% अथवा रू0 12000/– जो कम होगा, उतनी राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने कि प्रक्रिया का निर्धारण।

अनुदान राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशः–

1. (क) राज्य सरकार का अनुदान जारी करने हेतु, वस्त्रमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना से संबंधित निर्देश एवं शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। यदि भविष्य में भारत सरकार द्वारा इस योजना में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो तदनुसार योजना क्रियान्वित किया जायेगा।

(ख) विद्युतकरघा बुनकरों के बीच योजना का सघन प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

(ग) विद्युतकरघा बुनकरों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, पावरलूम सेवा केन्द्र में प्राप्त किया जायेगा जिस पर आवश्यक जाँचोपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय, वस्त्र समिति, कोलकता द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी, इसकी वैधता छः माह की होती है।

(घ) सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसी, जो विद्युतकरघा के लिए अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किये गये हैं, उन्हें लाभुक विद्युतकरघा बुनकर अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) की आपूर्ति करने का अनुरोध करेंगे।

(ङ) अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय वस्त्र समिति, कोलकता द्वारा संयुक्त जाँच टीम से स्थल निरीक्षण कराई जाएगी। इस स्थल निरीक्षण टीम में उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) अथवा निदेशालय के पदाधिकारी रहेंगे।

(च) स्थल निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन के आधार पर वस्त्र समिति का मुख्यालय, मुम्बई तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकता से प्राप्त अनुदान की स्वीकृति एवं राशि भुगतान का आदेश प्राप्त होने पर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा राज्यांश का अनुमान्य राशि की स्वीकृति एवं लाभुक विद्युतकरघा बुनकरों के बैंक खाता में उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का भुगतान की प्रक्रिया एक माह के अन्दर निदेशालय द्वारा पूरा कर दिया जाएगा।

(छ) विद्युतकरघा के लिए Additional attachment की सूची एवं दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं। यदि इस दर में भारत सरकार द्वारा कोई परिर्वतन किया जाता है, तो उसी के अनुसार दर मान्य होगा।

(ज) राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति विद्युतकरघा के लिए अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) पर होने वाले व्यय का 40% अथवा रू0 12000/— जो कम होगा उतनी ही राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में मान्य होगा।

ह0/—
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पटना, दिनांक—...

प्रतिलिपिः— उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, पावरलूम सेवा केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 171 पटना, दिनांक— 25/1/16

प्रतिलिपिः— उप निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ/आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

2